मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

04

मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

मुख्य बिन्दु

- राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 123 पीडीएस प्रदाय केन्द्र एवं 13,759 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रतिमाह लगभग 76.54 लाख राशन कार्डधारियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
- वर्ष 2023–24 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड–ए) के समर्थन मूल्य क्रमशः 2,183 एवं 2,203 केन्द्र सरकार द्वारा घोषित।
- खरीफ वर्ष 2022–23 में 23.42 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 107.53 लाख मे.टन धान की खरीदी की गई थी। किसानों को 21,963 करोड़ रूपये धान का समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है।

4.1 मूल्यः— आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन का समाज के प्रत्येक वर्ग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विक्रेता के दृष्टिकोण से, एक प्रभावी क़ीमत वह मूल्य है जो उस अधिकतम के बहुत निकट है, जितना ग्राहक भुगतान करने के लिए तैयार हैं। आर्थिक संदर्भ में, यह वही मूल्य है जो उपभोक्ता के अधिकांश अधिशेष को निर्माता को अंतरित करता है।अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय के समूह में शामिल प्रतिनिधि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन का अनुमान लगाने हेतु मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आर्थिक योजना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा विक्रेता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत आधार पर उत्पन्न वास्तविक मुद्रा स्फीति को दर्शाता है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाने वाला प्राथमिक मापक है।

4.1.1 भारत में मूल्य स्थितिः— केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदशों के ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2012) जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसम्बर 2022 में 170.8, 166.9 एवं 169.3 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो मई 2023 में 169.9, 168.4 एवं 169.3 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया। दिसम्बर 2022 के लिए भारत की सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 177.1, 174.1 एवं 175.7 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो मई 2023 में 179.8, 178.2 एवं 179.1 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया।

तालिका 4.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकॉक

भारत/राज्य	दिसम्बर –2022			मई 2023		
	ग्रामीण	ग्रामीण	ग्रामीण	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त
भारत	177.1	174.1	175.7	179.8	178.2	179.1
छत्तीसगढ़	170.8	166.9	169.3	169.9	168.4	169.3

कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (मई 2023 के स्थिति में) आधार वर्ष 2012

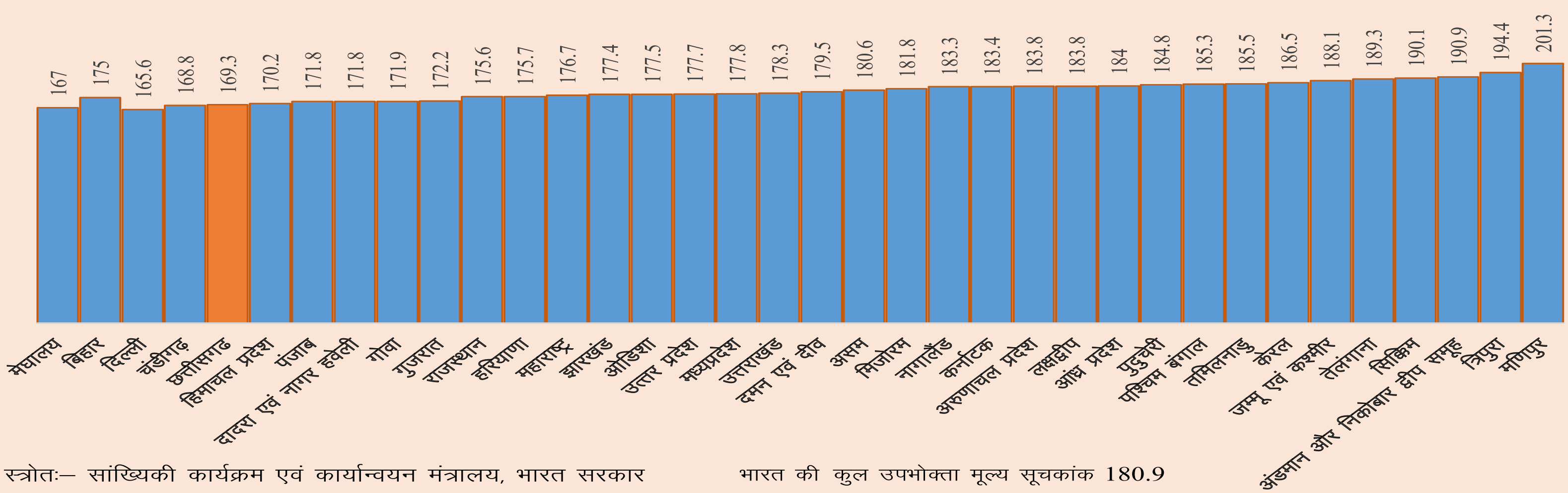

स्त्रोतः— सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

भारत की कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 180.9

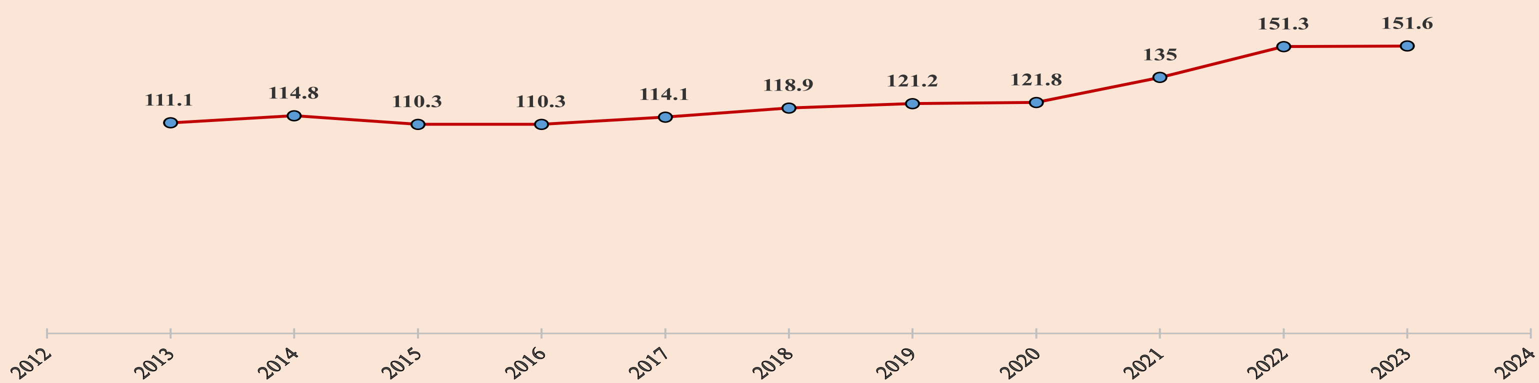

स्त्रोतः—आर्थिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जनसाधारण, विशेषतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदाय किया जाता है। राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन, नमक एवं चना आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य दुकानों से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 123 पीडीएस प्रदाय केन्द्र एवं 13,759 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रतिमाह लगभग 76.54 लाख राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

4.2 उचित मूल्य दुकान :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जनसाधारण, विशेषतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदाय किया जाता है। राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन, नमक एवं चना आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य दुकानों से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 123 पीडीएस प्रदाय केन्द्र एवं 13,759 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रतिमाह लगभग 76.54 लाख राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

4.3 छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 :– प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रतानुसार राशन सामग्री

उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के पूर्व छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् लगभग 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रूपये प्रतिकिलो है, जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून में अंत्योदय एव प्राथमिकता वाले 67.23 लाख परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से तथा सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवार वाले 8.78 लाख परिवारों को 10 रूपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदाय किया जा रहा है।

टीप:– वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य शासन के निर्णय अनुसार जनवरी, 2023 से प्राथमिकता एवं अन्त्योदय राशनकार्डों पर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 4.2 योजनांतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर

क्र.	परिवार का प्रकार	खाद्य पदार्थ	मासिक पात्रता	उपभोक्ता दर
1	अंत्योदय परिवार	चावल	35 कि.ग्रा. प्रतिमाह	रू. 1 प्रति कि.ग्रा.
		चना	2 कि.ग्रा. प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	रू. 5 प्रति कि.ग्रा.
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 कि.ग्रा.प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार	निः शुल्क
2	प्राथमिकता परिवार	चावल	01 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 किग्रा प्रतिमाह	रू. 1 प्रति कि.ग्रा.
			02 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 20 किग्रा प्रतिमाह	
			03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किग्रा प्रतिमाह	
			05 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड में प्रति सदस्य 07 किग्रा प्रतिमाह	
		चना	2 कि.ग्रा. प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	रू. 5 प्रति कि.ग्रा.
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 कि.ग्रा.प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार	निःशुल्क
3	एकल निराश्रित	चावल	10 किग्रा प्रतिमाह	निःशुल्क
4	निःशक्तजन	चावल	10 किग्रा प्रतिमाह	निःशुल्क
5	सामान्य परिवार	चावल	01 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 किग्रा प्रतिमाह	रू.10 प्रति कि.ग्रा.
			02 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 20 किग्रा प्रतिमाह	
			03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किग्रा प्रतिमाह	

टीप:–

- चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में एवं माडा क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय, एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारी परिवारों को है।
- उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति राशन कार्ड 17 रू. प्रति किग्रा की दर से 1 किग्रा शक्कर की पात्रता है।
- बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 02 किलो गुड़ 17 रू. प्रति किलो ग्राम की दर से प्रदाय किया जा रहा है।
- अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशनकार्डधारियों को केरोसिन की पात्रता है।
- वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य शासन के निर्णय अनुसार जनवरी, 2023 से प्राथमिकता एवं अन्त्योदय राशनकार्डों पर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

4.4 सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Universal PDS) :– राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ 02 अक्टूबर, 2019 से किया गया है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राथमिकता राशनकार्डो के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ–साथ सामान्य परिवारों के लिए भी सामान्य परिवार वाले राशनकार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित की गई है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत परिवारों (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता) को भी खाद्यान्न की पात्रता होगी। वर्तमान में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्ड जारी किया जा रहा है।

4.5 राशनकार्ड :– राज्य में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल 76.54 लाख राशनकार्ड प्रचलित है। इनमें से 14.90 लाख अंत्योदय राशनकार्ड, 52.32 लाख प्राथमिकता राशनकार्ड, 37,739 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 15,290 निःशक्तजन राशनकार्ड तथा 8.78 लाख सामान्य श्रेणी के राशनकार्ड प्रचलित है। इन राशनकार्डो में निर्धारित पात्रतानुसार प्रतिमाह राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है। राशनकार्डों की योजनवार, जिलेवार जानकारी तालिका 4.6 दर्शित है।

4.6 राशन सामग्री का आवंटन :— सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष, 2020—21, 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24 में अप्रैल से अक्टूबर, 2023 तक खाद्यान्न आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :—

तालिका क्रमांक 4.3 सामग्रियों का वर्षवार उठाव (मात्रा मे.टन में)

क्र	सामग्री	वर्ष							
		2020—21		2021—22		2022—2023		2023—24 (अक्टूबर, 2023 की स्थिति में)	
		आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
1	चावल	3093418	3021148	3333849	3243880	3444925.74	3249415.7	1709487	1560844
2	शक्कर	68106	67137	69926	68502	73936	69191	45626	41546
3	नमक	96351	94205	99007	96886	104327	97493	64114	58011
4	चना	40510	40054	62772	61865	65472	62350	39822	36674

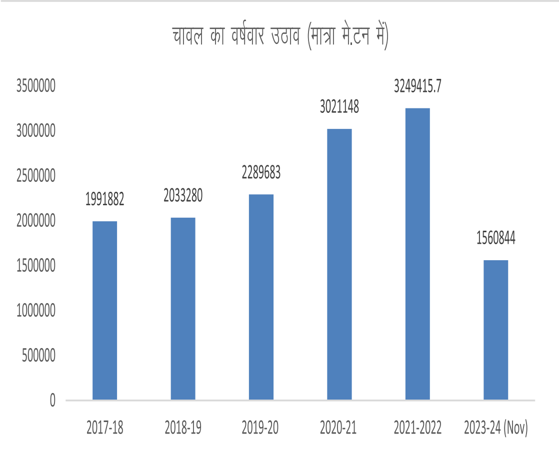

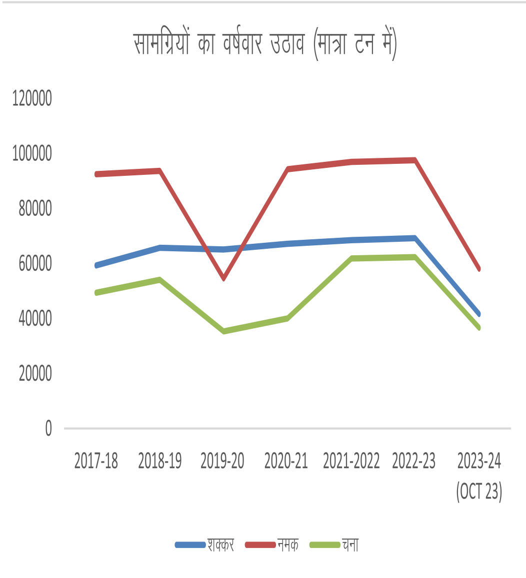

4.7 कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य — न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों के केबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। समर्थन मूल्य घोषित करने के समय उत्पादन मूल्य के साथ—साथ समग्र मांग एवं पूर्ति, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर उपजीय समता एवं अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव एवं उत्पादन के साधनों यथा—भूमि एवं जल का युक्तिपूर्ण उपयोग को CACP द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

CACP एक विशेषज्ञ निकाय है जिसकी अनुशंसाओं को भारत शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में जैसे– किसी उपज का अधिक उत्पादन एवं किसी अन्य उपज के कम उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए अन्य उपजों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप शासन द्वारा बोनस/प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। वर्ष 2016–17 से 2023–24 तक खरीफ एवं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवरण तालिका क्र. 4.5 में दर्शित है।

तालिका क्र. 4.4 समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल

फसल/किस्म	विपणन वर्ष							
	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	21–22	22–23	23–24
धान सामान्य	1470	1550	1750	1815	1868	1940	2040	2183
धान ग्रेड–ए	1510	1590	1770	1835	1888	1960	2060	2203
गेहूं	1525	1625	1840	1925	1975	2015	2125	-
ज्वार	1625	1700	2430	2550	2640	2738	2970	3180
बाजरा	1330	1425	1950	2000	2150	2250	2350	2500
मक्का	1365	1425	1700	1760	1850	1870	1962	2090
रागी	1725	1900	2897	1760	3295	3377	3578	3846
अरहर	4625	5440 (रू.200 बोनस सहित)	5675	5800	6000	6300	6600	7000
उड़द	4575	5400 (रू.200 बोनस सहित)	5600	5700	6000	6300	6600	6950
मूंगफली	4120	4500	4890	5090	5275	5550	5850	6377
मूंग	4800	5575 (रू.200 बोनस सहित)	6975	7050	7196	7275	7755	8558
सोयाबीन	2675	3050 (रू.200 बोनस सहित)	3399	3710	3880	-	4300	4600
सूर्यमुखी	3850	4100 (रू.200 बोनस सहित)	5388	5650	5885	5441	6400	6760

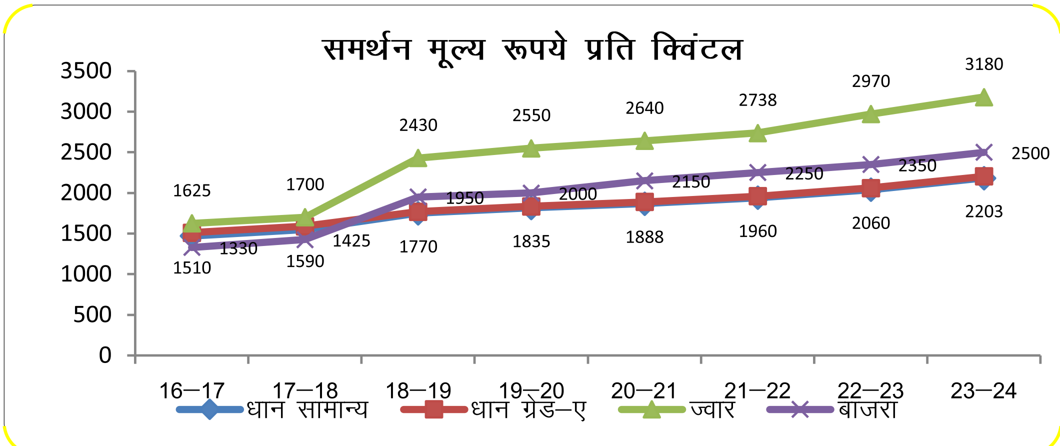

छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाता है। राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जा रही है।

खरीफ वर्ष 2022–23 में 23.42 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 107.53 लाख मे. टन धान की खरीदी की गई थी। किसानों को 21,963 करोड़ रूपये धान का समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है। इस वर्ष किसानों से 20.80 टन मक्का की खरीदी की गई तथा 4.08 लाख रूपये का भुगतान किया गया है।

खरीफ वर्ष 2023–24 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तिथि 01 नवम्बर, 2023 से दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक तथा मक्का उपार्जन 01 नवम्बर, 2023 से 28 फरवरी, 2024 तक है। इस खरीफ वर्ष में भारत शासन द्वारा धान का समर्थन मूल्य कॉमन धान हेतु 2183 रूपये प्रति क्विंटल, ग्रेड–ए धान हेतु 2203 रूपये प्रति क्विंटल तथा मक्का हेतु 2092 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

4.8 धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरणः– खाद्य विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2007–08 में धान खरीदी की समस्त व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के अनुभव एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु इसमें नियमित सुधार किया जा रहा है।

खरीफ वर्ष 2023–24 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किया जा रहा है।

4.9 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई हैः–

- **पीडीएस–ऑनलाईन व्यवस्था** :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 से प्रारंभ किया गया। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोड़ा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 13,759 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशनकार्डों के आधार पर जनवरी, 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार आबंटन जारी किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के अंतर्गत कुल 13,723 उचित मूल्य दुकान में ई–पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकान स्तर तक कम्प्यूटरीकरण से राशनकार्डधारियों को राशन सामग्री वितरण की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध है। इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी हुई है।

- **चावल उत्सव** :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी, 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा जहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है, तथा शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित हैं, वहां प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव के आयोजन का प्रावधान है। इन उत्सव के दिन निर्धारित तिथि पर राशनकार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

- **कॉल सेंटर** :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा जनवरी, 2008 से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसका दूरभाष क्र. 1967 एवं 1800–233–3663 (टोल फ्री) है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग

द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

- **जनभागीदारी वेबसाईटः**— जनभागीदारी वेबसाईट (https://khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx) राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है। कोई भी नागरिक इस वेबसाईट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई—मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार सहित नेशनल ई—गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई—इंडिया अवार्ड, सी.एस.आई. ई—गवर्नेंस अवार्ड, सी.एस.आई निहिलेंट ई—गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुए है।

तालिका क्रमांक 4.5 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों की एजेंसीवार संचालन की जानकारी									
क्र.	जिला	एजेंसी के प्रकार					योग	शहरी उ.मू. दु. की संख्या	ग्रामीण उ.मू. दु. की संख्या
		सहकारी समिति	ग्राम पंचायत	महिला स्व. सहायता समूह	वन सुरक्षा समिति	नगरीय निकाय			
1	बस्तर	110	239	132	4	0	485	48	437
2	बीजापुर	21	114	60	0	0	195	18	177
3	दन्तेवाड़ा	76	61	31	0	0	168	24	144
4	कांकेर	101	223	155	10	0	489	30	459
5	कोंडागांव	57	234	98	15	0	404	22	382
6	नारायणपुर	20	81	11	1	0	113	8	105
7	सुकमा	47	106	25	2	0	180	12	168
8	बिलासपुर	264	168	245	3	0	680	168	512
9	गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही	21	19	163	3	0	206	15	191
10	जांजगीर	152	51	188	0	5	396	55	341
11	कोरबा	158	157	234	4	0	553	138	415
12	मुंगेली	67	97	231	1	0	396	24	372
13	रायगढ़	92	305	254	4	0	655	89	566
14	बालोद	150	148	158	20	0	476	36	440
15	बेमेतरा	161	52	247	0	0	460	28	432
16	दुर्ग	309	65	283	0	1	658	354	304
17	कवर्धा	196	77	229	2	0	504	31	473
18	राजनांदगांव	165	64	254	4	0	487	77	410
19	बलौदा बाजार	304	51	210	0	0	565	38	527
20	धमतरी	312	27	111	0	0	450	55	395
21	गरियाबंद	275	41	42	0	0	358	16	342
22	महासमुंद	453	13	126	1	0	593	40	553
23	रायपुर	544	80	73	0	0	697	281	416
24	बलरामपुर	60	234	171	12	0	477	9	468
25	जशपुर	6	424	43	0	9	482	19	463
26	कोरिया	16	52	100	2	0	170	13	157
27	सरगुजा	216	88	204	7	0	515	67	448
28	सुरजपुर	147	184	191	3	1	526	23	503
29	सक्ती	**51**	**57**	**240**	**0**	**0**	**348**	**25**	**323**
30	मनेद्रगढ–चिरमिरी	38	97	110	5	0	250	50	200
31	सारंग–बिलाईगढ़	32	87	269	2	0	390	22	368
32	खैरागढ़–छुईखदान	91	41	108	0	0	240	16	224
33	मोहला–मानपुर	52	36	105	0	0	193	5	188
कुल योग		**4764**	**3773**	**5101**	**105**	**16**	**13759**	**1856**	**11903**

तालिका क्र. 4.6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों की जानकारी

क्र.	जिला	अंत्योदय राशनकार्ड	प्राथमिकता राशनकार्ड	एकल निराश्रित राशनकार्ड	निःशक्तजन राशनकार्ड	सामान्य राशनकार्ड	योग
1	बस्तर	47079	135927	615	72	22195	205888
2	बीजापुर	24347	42977	10	43	4154	71531
3	दन्तेवाड़ा	28758	44600	84	414	6624	80480
4	कांकेर	35257	125889	361	268	25472	187247
5	कोंडागांव	33329	101183	460	51	10989	146012
6	नारायणपुर	17368	14678	68	31	4111	36256
7	सुकमा	30638	45430	100	19	2417	78604
8	बिलासपुर	94187	364132	3680	905	69651	532555
9	गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही	28349	76307	319	128	6049	111152
10	जांजगीर	48158	240202	2077	845	28775	320057
11	कोरबा	55468	237003	2038	1262	37573	333344
12	मुंगेली	51580	167095	1223	379	11958	232235
13	रायगढ़	67668	216036	1695	251	46843	332493
14	बालोद	30203	159399	801	1064	29146	220613
15	बेमेतरा	42714	201338	3225	355	17195	264827
16	दुर्ग	73903	268292	2167	2837	123760	470959
17	कवर्धा	64302	199031	953	270	16537	281093
18	राजनांदगांव	37349	164132	341	319	35209	237350
19	बलौदा बाजार	47883	269697	1963	745	28570	348858
20	धमतरी	47964	165285	717	391	26161	240518
21	गरियाबंद	49541	142393	981	622	11516	205053
22	महासमुंद	49692	235518	2518	1122	42272	331122
23	रायपुर	66919	403631	2923	1088	123877	598438
24	बलरामपुर	57758	148456	771	77	13406	220468
25	जशपुर	58302	169147	784	190	18500	246923
26	कोरिया	18189	53844	179	39	9440	81691
27	सरगुजा	75402	179721	915	131	22489	278658
28	सुरजपुर	57817	157061	975	591	17708	234152
29	सक्ती	40633	161850	2255	481	19747	224966
30	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी	27574	61742	304	63	17577	107260
31	सारंगढ़–बिलाईगढ	48846	148403	1764	117	15815	214945
32	खैरागढ़–छुईखदान	16998	82330	424	53	7220	107025
33	मोहला–मानपुर	16755	49446	49	67	5089	71406
कुल योग		**1490930**	**5232175**	**37739**	**15290**	**878045**	**7654179**